

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 3(126)ACR / CCE / 10 / 433

दिनांक: 08-07-2020


1. समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।
2. समस्त प्राचार्य,
राजकीय विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।
3. समस्त सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान।

विषय :- सत्र 2019-20 के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2019-20 के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन महाविद्यालयों से जिन्होंने अभी तक नहीं भिजवाये हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने महाविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सत्र 2019-20 के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की पूर्ति कर 15 अगस्त 2020 तक इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें। प्रतिवेदनों में केवल मूल्यांकन करके ही भिजवायें उनका अवलोकन समीक्षा से पूर्व न करायें। अधिकारियों के प्रतिवेदन प्रपत्र-II में एवं कार्मिकों के प्रतिवेदन प्रपत्र-III में भरवाकर ही भिजवाये। कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 03 माह की अवधि पूर्ण होने पर ही भिजवाये अन्यथा नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट ही भिजवाये।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रतिवेदन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में भिजवायें तथा RVRES के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रतिवेदनों पर RVRES अंकित कर पृथक सूची से भिजवायें।

 08/07/2020

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि प्रभारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

 08/07/2020

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर